(5)

आदेश कमांक / तिथि Order No./Date	आदेश एव पदाकारी का हस्ताक्षर Order and Signature of Officer	आदेश की गयी कारवाई तिथि सहित Action taken on order with date
18.7.16/25.7.16	**न्यायालय उपायुक्त, खूँटी** अधिग्रहण वाद संख्या – 01R28/2014 प्रखण्ड आपूर्ति निरीक्षक कर्रा – आवेदक **बनाम्** मुन्ना प्रसाद साव वगैरह – विपक्षी **आदेश** प्रस्तुत वाद अनुण्डल पदाधिकारी, खूँटी के पत्रांक 28/आ0, दिनांक 15.03.2014 के द्वारा दिनांक 12.03.2014 को जलटण्डा (कर्रा) हाट/बाजार में अवैध रूप रूप से बिक्री किये जा रहे 70 लीटर ब्लू किरासन तेल अधिग्रहण हेतु अधिनियम की धारा 6ए0 के अन्तर्गत कार्रवाई प्रारंभ कर उक्त अधिनियम की धारा 6 बी0 के अन्तर्गत विपक्षी से कारण पृच्छा की मांग की गई। विपक्षी द्वारा उपस्थिति के साथ–साथ कारण पृच्छा दाखिल किया गया जो अभिलेख में संलग्न है। अनुमण्डल पदाधिकारी, खूँटी द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि दिनांक 12.03.2014 को अपराहन् 1.10 बजे प्रखण्ड आपूर्ति निरीक्षक कर्रा को मिली सूचना के आधार पर जलटण्डा बाजार में अनाधिकृत एवं अवैध रूप से ब्लू किरासन तेल के भण्डारण एवं बिक्री की जाँच की गई। जाँच के कम में जलटण्डा बाजार में (1) श्री मुन्ना प्रसाद साव, पिता बलदेव साव, पिपरा टोली खूँटी (2)श्री अमित प्रसाद, पिता स्व. मुन्ना लाल साव, मोहना टोली खूँटी (3)श्री विनोद प्रसाद, पिता स्व0 मुन्ना लाल साव मोहना टोली खूँटी द्वारा ब्लू किरासन तेल का अनाधिकृत एवं अवैध रूप से भण्डारण कर बिक्री करते पाये गये हैं। उपरोक्त तीनों व्यक्ति सरकारी किरासन तेल की कालाबाजारी में संलिप्त है। अवैध रूप से भण्डारित दो जार में 70(सत्तर) लीटर ब्लू किरासन तेल, नपना, एवं कीप को स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति में जप्ती सूची बनाकर जप्त किया गया हैं। विपक्षी द्वारा बहस के दौरान कहा गया कि श्री राकेश वर्मा, आपूर्ति निरीक्षक कर्रा के प्रतिवेदन पर कर्रा थाना काण्ड संख्या–15/14 दर्ज किया गया	

	तत्पश्चात् G.R. वाद संख्या 101/14, दिनांक 12.03.2014 को आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया जो माननीय न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम क्षेणी के न्यायालय में लंबित है। उक्त वाद विपक्षी पर शक एवं संदेह पर दायर किया गया है। विपक्षी पर प्राथमिकी गोपनीय सूचना के आधार पर दर्ज किया गया है। विपक्षी न तो किरासन तेल विक्रेता है और ना ही खरीद बिक्री हेतु उपयोग किया गया है। अतः विपक्षी द्वारा आदेश पारित करने हेतु अनुरोध किया गया है। सरकारी अधिवक्ता द्वारा भी बहस के दौरान कहा गया कि विपक्षी को जप्त किरासन तेल से कोई लेना देना/मतलब नही है। अतः जप्त किरासन तेल का अधिग्रहण कर लेने पर किसी प्रकार का आपत्ति नही है। अतः अधिग्रहण कर लेने हेतु अनुरोध किया गया है। अनुमण्डल पदाधिकारी, खूँटी के प्रतिवेदन, जप्ती सूची, आपूर्ति निरीक्षक का प्रतिवेदन, विपक्षी द्वारा दाखिल करण पृच्छा एवं अभिलेख में संलग्न दस्तावेजों के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि विपक्षी को उक्त जप्त किरासन तेल के अधिग्रहण किये जाने पर कोई आपत्ति नही है, जो कि वे अपने कारण पृच्छा में अंकित किए हैं साथ ही जप्त किरासन तेल ज्वलनशील हैं। अतः जलटण्डा(कर्रा) बाजार हाट से जप्त 70(सत्तर) लीटर ब्लू किरासन तेल को अधिगृहित की जाती है। अनुमण्डल पदाधिकारी खूँटी आदेश का अनुपालन करें। दोनो पक्षों का विद्वान अधिवक्ता को दिखाये। 25/7 उपायुक्त, खूँटी। लेखापित एवं संशोधित 25/7 उपायुक्त, खूँटी।	